सार्वजनिक नीलामी सूचना संख्या–01/2021–22

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जिला प्रशिक्षण अधिकारी, जिला ग्राम्य विकास संस्थान, खैराबाद, सीतापुर में निष्प्रयोज्य की खुली नीलामी "जहां है जैसी है" के आधार पर दिनांक 26.07.2021 को अपरान्ह 12.00 बजे प्राधिकृत समिति द्वारा जिला प्रशिक्षण अधिकारी, जिला ग्राम्य विकास संस्थान, खैराबाद, सीतापुर के कार्यालय पर की जायेगी।

नीलामी की मुख्य शर्तें :–

1. नीलामी में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति/फर्म को प्रत्येक लाट हेतु पृथक से धरोहर धनराशि मु0 5000=00 (मु0 पांच हजार रुपये मात्र) डिमाण्ड ड्राफ्ट/नकद के रुप में, जो जिला प्रशिक्षण अधिकारी, जिला ग्राम्य विकास संस्थान, खैराबाद, सीतापुर के नामे हो, को नीलामी के पूर्व कार्यालय जिला प्रशिक्षण अधिकारी, जिला ग्राम्य विकास संस्थान, खैराबाद, सीतापुर में जमा करना अनिवार्य होगा। धरोहर धनराशि जमा किये बिना नीलामी में भाग नहीं लिया जा सकता है।
2. निष्प्रयोज्य घोषित सामग्री का निरीक्षण दिनांक 11.07.2021 से 25.07.2021 तक किसी भी कार्यालय दिवस में प्रातः 10.00 बजे से सायंकाल 04.00 बजे तक सम्बन्धित भण्डार सहायक/प्रभारी भण्डार से सम्पर्क करके किया जा सकता है।
3. निष्प्रयोज्य घोषित समस्त सामग्री की नीलामी लॉट में की जायेगी।
4. उपरोक्त सामग्री की नीलामी " जहॉं है, जैसी है" के आधार पर की जायेगी।
5. नीलामी के दिन बोलीदाता को अपना फोटो पहचान पत्र, निवास स्थान, कार्यालय का पता तथा दूरभाष संख्या नीलामी हेतु निर्धारित समय से पूर्व प्रस्तुत करना होगा।
6. केवल वही व्यक्ति/फर्म नीलामी में बोली बोलने हेतु अधिकृत होगें, जिनके द्वारा बोली से पूर्व निर्धारित तिथि एवं समय तक धरोहर धनराशि जमा कर रसीद प्राप्त कर ली गयी हो। निर्धारित समय के उपरान्त किन्हीं भी परिस्थितियों में कोई भी धनराशि जमा नहीं की जायेगी।
7. नीलामी हेतु समस्त निर्णय का अधिकार, जिला प्रशिक्षण अधिकारी, जिला ग्राम्य विकास संस्थान, खैराबाद, सीतापुर में निहित होगा तथा इसके लिये कोई कारण बताना अनिवार्य नहीं होगा।
8. अधिकतम बोली बोलने वाले व्यक्ति/फर्म को अपनी बोली की 25 प्रतिशत धनराशि अर्नेस्ट मनी के रुप में तुरन्त जमा करनी होगी, अन्यथा उसके द्वारा नीलामी से पूर्व जमा करायी गयी प्रतिभूति की धनराशि राजकीय हित में जब्त कर ली जायेगी तथा दूसरे अधिकतम बोली बोलने वाले व्यक्ति/फर्म के पक्ष में नीलामी कर दी जायेगी। उक्त के अतिरिक्त सभी बोली दाताओं की धरोहर की धनराशि बोली समाप्ति के पश्चात वापस कर दी जायेगी।
9. नीलामी की दरें स्वीकार करने का पूर्ण अधिकार जिला प्रशिक्षण अधिकारी, जिला ग्राम्य विकास संस्थान, खैराबाद, सीतापुर में निहित होगा।
10. नीलामी में कोई भी व्यक्ति, व्यक्ति अथवा फर्म के लिये तब तक बोली नहीं बोल सकता जब तक कि अनुपस्थित व्यक्ति/फर्म का लिखित प्राधिकार पत्र उसके पास न हो।
11. बोली की धनराशि पर नियमानुसार व्यापार कर, बिक्रीकर अथवा अन्य कर उच्चतम बोली बोलने वाले को अलग से देना होगा।
12. नीलामी परिसर जिला प्रशिक्षण अधिकारी, जिला ग्राम्य विकास संस्थान, खैराबाद, सीतापुर के कार्यालय प्रांगण में होगा। नीलामी के समय कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का कोई भी हथियार, विस्फोटक पदार्थ लेकर नहीं आयेगा। ऐसा करने पर उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जायेगी।
13. यदि नीलामी करने वाली समिति का यह विचार है कि बोली बोलने वाली फर्मों/व्यक्तियों ने गिरोह बना लिया है, और सामग्री का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है तो ऐसी स्थिति में नीलामी स्थगित कर दी जायेगी।
14. प्राधिकृत नीलामी समिति द्वारा स्वीकार की गयी उच्चतम बोली तभी मानी जायेगी जब सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित करते हुये विक्रय स्वीकृत कर दिया जायेगा।
15. नीलामी स्वीकृति होने के पश्चात नीलामी बोलने वाले व्यक्ति का 15 दिवस के अन्दर नीलामी की अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि जमा करनी होगी अन्यथा उसके द्वारा जमा की गयी 25 प्रतिशत धनराशि राजकीय हित में जब्त कर ली जायेगी।
16. नीलामी प्रक्रिया में उच्चतम बोलीदाता के द्वारा जमा की गयी 25 प्रतिशत धरोहर धनराशि उच्चतम अधिकारियों द्वारा स्वीकृति के पश्चात सामग्री उठान तक अथवा उच्चतम अधिकारियों द्वारा नीलामी अस्वीकृत होने की दशा में जमा की गयी धरोहर धनराशि वापस किये जाने की दशा में ब्याज देय नहीं होगा।
17. नीलामी का कुल मूल्य जमा कर दिये जाने के पश्चात 07 दिवस के अन्दर नीलामी स्थल से सामग्री को ले जाने का उत्तरदायित्व मय लोडिंग/अनलोडिंग सम्बन्धित बोलीदाता का होगा। अन्यथा सक्षम अधिकारी द्वारा निष्प्रयोज्य सामग्री को स्टोर करने एवं इसकी अभिरक्षा हेतु एक प्रतिशत (विक्रय मूल्य पर) प्रतिदिन की दर से अतिरिक्त प्रभार निर्धारित किया जा सकता है।
18. नीलामी की प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के उपरान्त सफल बोलीदाता को नीलाम किये गये निष्प्रयोज्य सामग्री को किसी भी दशा में वापस नहीं लिया जायेगा।

जिला प्रशिक्षण अधिकारी
जिला ग्राम्य विकास संस्थान
खैराबाद, सीतापुर।

कार्यालय, जिला प्रशिक्षण अधिकारी, जिला ग्राम्य विकास संस्थान, खैराबाद, सीतापुर।

पत्रांक 24 /भण्डार/नीलामी/2021–22 दिनांक 07/07/2021

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. संस्थान के सूचना पट पर चस्पा करने हेतु।
2. आंकिक/कैशियर, संस्थान।
3. प्रभारी भण्डार/भण्डार सहायक को सम्बन्धित पत्रावली में रखने हेतु एवं व्यापक प्रचार प्रसार हेतु।
4. खण्ड विकास अधिकारी, खैराबाद, सीतापुर।
5. तहसील, सदर, विकासभवन, कलेक्ट्रेट, रोडवेज बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन सीतापुर पर चस्पा करने हेतु।
6. जिला सूचना अधिकारी, सीतापुर दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु।
7. मुख्य विकास अधिकारी, ~~लखनऊ~~। सीतापुर
8. जिलाधिकारी महोदय, ~~लखनऊ~~। सीतापुर
9. अपर निदेशक, दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बख्शी का तालाब, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि कृपया नीलामी सूचना का प्रकाशन मुख्यालय की वेबसाइट पर कराने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
10. महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बख्शी का तालाब, लखनऊ।

7/7/21

जिला प्रशिक्षण अधिकारी
जिला ग्राम्य विकास संस्थान